षोडश बिहार विधान सभा

प्रथम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-05 सोमवार, दिनांक- 07 दिसम्बर, 2015 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्याह्न तक ।

[1] शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान :-

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शपथ ग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ हुई तथा शेष बचे 05 (पाँच) माननीय सदस्यों में से 02 (दो) माननीय सदस्य डा० मु० जावेद एवं श्री रमेश सिंह कुशवाहा ने बारी-बारी से शपथ ग्रहण किया ।

[2] कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :-

माननीय नेता, विरोधी दल श्री प्रेम कुमार द्वारा दिनांक 04.12.2015 को संपन्न हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक का प्रतिवेदन सदन में रखा गया जिस पर सभा की सहमति हुई ।

[3] अन्य चर्चाएँ :-

माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय द्वारा ''बिना शपथ या प्रतिज्ञान किए हुए'' सदन में प्रश्न किए जाने के संबंध में आसन से जानकारी माँगी गयी ।

आसन द्वारा स्थिति से सदन को अवगत कराया गया ।

[4] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 05 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित ।

[5] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया :-

(i) श्री तार किशोर प्रसाद
(ii) श्री नितिन नवीन
(iii) श्री विद्या सागर केशरी
(iv) श्री विजय कुमार खेमका
(v) श्री विजय कुमार सिन्हा
(vi) श्री मिथिलेश तिवारी

[6] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

(i) माननीय सदस्य श्री तार किशोर प्रसाद एवं श्री कृष्ण कुमार ऋषि से प्राप्त जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री तार किशोर प्रसाद द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा उत्तर दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य श्री सदानन्द सिंह से प्राप्त पथ निर्माण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग द्वारा उत्तर दिया गया ।

[7] **समितियों के गठन का प्रस्ताव:-**

(i) माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए गठन निर्वाचन पद्धति से न होकर मनोनयन पद्धति से हो एवं अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सदस्यों का मनोनयन करें तथा एतद् विषयक नियमों को इस हद तक शिथिल किया जाय संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के वर्ष 2015-16 के शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह-सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः 4, 6 एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम से इस सदन को सूचित करे । प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[8] **मनोनयन का प्रस्ताव :-**

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सीनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधान सभा के दस-दस सदस्यों (जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति एवं तीन अन्य पिछड़े वर्ग के हो), कृषि विश्वविद्यालयों के लिए सात-सात सदस्यों, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिए दो सदस्यों, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद् के लिए तीन सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए पाँच सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए दो-दो सदस्यों तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत राज्यस्तरीय समन्वयक समिति के लिए दो सदस्यों का जो निर्वाचन होना है, उनके नियमों को शिथिल करते हुए यह मनोनयन करने हेतु अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[9] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

भोजनावकाश के बाद

2.00 बजे अप० से 6.00 बजे अप० तक ।

[10] **महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पर वाद-विवाद :-**

माननीय सदस्य श्री रामसेवक सिंह ने प्रस्ताव किया कि ''यह सदन राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कृतज्ञ है'' तथा प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखा ।

माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया ।

आसन द्वारा घोषणा की गई कि ''महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर उपस्थापित धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल से प्राप्त संशोधन को नियमानुकूल होने के कारण स्वीकृत किया जाता है ।

माननीय नेता विरोधी दल श्री प्रेम कुमार द्वारा संशोधन प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया ।

इसके उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव एवं संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

(i) श्री रामदेव राय

(इस दौरान अध्यासी सदस्य श्री हरि नारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

(ii) श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन
(iii) श्री मेवालाल चौधरी
(iv) श्री महबूब आलम
(v) श्री राजू तिवारी
(vi) श्री जीतन राम मांझी
(vii) श्री ललन पासवान
(viii) श्री रामानुज प्रसाद
(ix) श्री रत्नेश सादा
(x) श्री मो० नेमतुल्ला

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(xi) श्री मिथलेश तिवारी
(xii) श्री डा० अशोक कुमार
(xiii) श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव
(xiv) श्री अशोक कुमार

आसन से घोषणा की गई कि कल दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का उत्तर होगा ।

[11] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 05 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएँगे ।

[12] <u>शोक प्रकाश</u> :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्व० रामाश्रय प्रसाद सिंह पूर्व सांसद एवं पूर्व स०वि०स० के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की चिर शांति एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहने करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की ।

तदुपरांत सभी माननीय सदस्यों ने एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि शोक संवेदना मेरे एवं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के पास भेज दिए जायें ।

तदुपरांत सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-08 दिसम्बर, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-07 दिसम्बर, 2015

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।